INTERNATIONAL JOURNAL OF HISTORY

E-ISSN: 2706-9117
P-ISSN: 2706-9109
www.historyjournal.net
IJH 2021; 3(2): 136-138
Received: 06-04-2021
Accepted: 11-05-2021

डॉ. अमन चंद्र
मध्यकालीन इतिहास विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश, भारत

Corresponding Author:
डॉ. अमन चंद्र
मध्यकालीन इतिहास विभाग, श्री लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोंडा, उत्तर प्रदेश, भारत

गजनी वंश: विजारत शब्द की उत्पत्ति, अर्थ, कर्तव्य, क्षमता एवं विशेषाधिकार का विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. अमन चंद्र

सारांश
विजारत ऐसी संस्था थी जिसे इस्लामी संविधान में मान्यता दी गई थी। जिन गैर-अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटो के अधीन मंत्री परिषद् के लिए जो नाम व्यवहार में लाये गये थे उन्हे विजारत की संज्ञा दी गई थी, किन्तु उन सम्राटो के समय विजारत का अर्थ था एक ही मंत्री जो सम्राट का परामर्शदाता बन सकता था। सभी मुस्लिम विधिवेत्ताओं ने इस शब्द की व्याख्या इस दृष्टि से की हैं। अल फर्खार के अनुसार "वजीर उन लोगो को ही कहा जाता हैं जो राजा तथा प्रजा के बीच की कडी बन जाते थे।" अतः उनके लिए यह अपेक्षित था कि राजा की प्रकृति के बारे में जानकारी रखे एवं जनता की प्रकृति के बारे मे जाने ताकि वे दोनो श्रेणियों को अच्छी तरह सभांल सकें और उनके विश्वास पात्र बन सके।

कूट शब्द: गजनी वंश:, उत्पत्ति, अर्थ, कर्तव्य, क्षमता एवं विशेषाधिकार, इस्लामी संविधान

भूमिका
मुस्लिम राजतंत्र में मंत्रीपरिषद् के लिए "वजारत' शब्द का प्रयोग होता था।1 किन्तु वहा वजारत से मुख्यत: एक ही वजीर अभिप्रेत था। वजीर पहलवी शब्द "विशियर" (न्यायाधीश), "वजर" (बोझा ढोने वाला), अथवा "विज" (परामर्शदाता) शब्द से बना हैं। इसका उद्गम ईरान में हुआ। जिन गैर अरबी संस्थाओं को अंतर्मुक्त किया गया तथा मुस्लिम सम्राटो के अधीन मंत्रीपरिषद् के लिए जो नाम व्यवहार में लाये गये थे, उसे विजारत कहा गया। किन्तु सम्राटो के समय वजारत का अर्थ मात्र एक परामर्शदात्री संस्था से था। उमैय्यद खलीफाओं के काल में मंत्री को "कातिब' कहा जाता था। इस वंश के खलीफाओं के शासन की पुरानी पद्धति शुद्ध अरबी पद्धति को अपनाया जो जातीय उच्चता के चिन्हों पर बनी थी। विजारत की फारसी पद्धति को वे लोग नही मानते थे। अब्बासी खलीफाओं ने प्रशासन के लिए कई नये पदो का निर्माण किया तथा उन सबसे ऊपर एक वजीर को नियुक्त किया। शक्तिहीन खलीफाओं के काल में वजीर वास्तविक शासक बन जाता था। अब्बासी खलीफाओं ने शासन के फारसी पद्धति को अपनाते हुए वजारत की अवधारणा को स्पष्ट किया। इस्लामी विधि वेत्ताओं ने वजीर के पद को सैद्धान्तिक आधार प्रदान किया तथा वजीर को शासक का नायब माना जाने लगा।

विजारत को एक संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने फारस से ली थी। इनके संरक्षण में यह बहुत महत्वपूर्ण संस्था बन गई थी। विधिवेत्ताओं को वजीर के कर्तव्य, उसकी क्षमता एवं विशेष अधिकार के बारे में विस्तृत रूप से विवेचन करना पड़ता था। समय बीतने पर जब खलीफाओं ने भोग विलास का जीवन व्यतीत करना शुरू किया और उनके पास प्रशासन को देखने का समय तक ना रहा। तब वजीर ने सम्पूर्ण दायित्व अपने ऊपर लेकर खलीफा को परेशान किये बिना शासन-व्यवस्था की देखभाल अपने हाथ में ले ली। इस प्रकार विजारत का सिद्धांत तभी पूर्ण रूप से स्वीकृत हुआ जब गजनी राजवंश की स्थापना हुई। जब गजनी ने फारस के सामंती राजवंश से अपने आप को स्वतंत्र बना लिया तब महमूद ने स्वतंत्र और शक्तिशाली सुल्तान की सृष्टि की। महमूद गजनवी के राज्यकाल में अब्बास फजल बिन अहमद प्रथम वजीर हुए, जो शासन व्यवस्था चलाने में निपुण थें।

शक्तिशाली वजीर न केवल समस्त प्रशासन की देखभाल करते थे बल्कि सैनिक अभियानों का भी नेतृत्व करते थे। वस्तुतः जब तक सरकार के सैनिक स्वरूप पर जोर दिया जाता रहा तब तक ऐसा होना अपरिहार्य ही था। 'एक शक्तिशाली शासक के अन्तर्गत वजीर उतनी ही शक्ति का प्रयोग करता था। जितनी सुल्तान उसे अनुमति देता था। मुस्लिम विधिवेत्ताओं मुख्यतः अलमावर्दी ने दो तरह के वजीरों का उल्लेख किया हैं

1. वजीर-ए-तफवीद (प्रथम श्रेणी का असीमित वजीर)
2. वजीर-ए-तौफीक (द्वितीय श्रेणी का सीमित वजीर)

प्रथम श्रेणी का असीमित वजीर ही "प्रधान वजीर" होता था। एक राज्य में एक ही प्रथम श्रेणी का वजीर नियुक्त किया जाता था। वह शासक का गृह प्रबन्धक एवं अंतरंग मित्र माना जाता था। वह खलीफा की पूर्व आज्ञा के बिना ही राजकीय नियुक्तियां

करता व राजाज्ञाओं के रूप में अपीलीय मुकदमो की सुनवाई भी करता था। द्वितीय श्रेणी का वजीर प्रत्येक कार्य शासक की आज्ञा लेकर करता था।

इस प्रकार इस्लामी कानून में वजीर को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। वह सम्राट के बाद शासन में प्रमुख स्थान रखता था। वजीर दूसरा सम्राट होता था। आलम वर्दी ने गैर मुसलमानों को द्वितीय श्रेणी का वजीर नियुक्त करने की स्वीकृति दी हैं, महाभारत के शांति पर्व में भी कहा गया हैं, कि बिना मंत्री की सहायता के शासक तीन दिन भी शासन नही कर सकता था। कौटिल्य के अनुसार "राजसत्ता केवल सहायता से ही सम्भव हैं, एक पहिया इसे कभी नही चला सकता।' सल्तनत काल में वजारत भारत में तुर्की शासन की स्थापना के साथ ही साथ वजीर के पद की भी स्थापना हुई। वजीर यह मंत्री पद था जो दिल्ली सल्तनत के समस्त सुल्तानो के शासन में रहा परन्तु उसके कार्यो में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे। दिल्ली सल्तनत के अधीन वजारत का कार्यालय प्रारम्भ में इतना महत्वपूर्ण नही था। प्रारम्भिक गजनवी शासको के विवरण से यह प्रतीत होता है कि सैनिक व्यवस्था पर उनका नियंत्रण सिर्फ इस सीमा तक था कि वे सैनिक पदाधिकारियों तथा सिपाहियों में वेतन बाटते थे, और तत्सम्बंधी हिसाब रखते थे। महमूद गजनवी अपने शासन कार्य में वजीर से सहायता लेता था। उसके पुत्र मसूद (1030-41ई0) के राज्य काल में ख्वाजा अहमद बिन हसन अलमैमंदी ने वजीर का पद स्वीकार करने के पूर्व उसे बाध्य किया कि वह लिखित रूप में उसके अधिकारों की व्याख्या करे।

दिल्ली सल्तनत कालीन सुल्तान एक ऐसा वजीर चाहते थे जो इतना प्रभावशाली हो कि सुल्तान को शासन के दैनिक दायित्व से मुक्त रखें, किन्तु इतना शक्तिशाली भी न रहे कि सुल्तान को विस्थापित या महत्वहीन कर दे। इस समस्या को सुलझाने के लिए अनेक प्रयोग किये गये। कभी कभी वजीर का पद खाली रखा गया या उसके कर्तव्यों व अधिकारों को दो व्यक्तियों में बांट दिया गया अथवा उसकी प्रतिष्ठा व शक्ति को कम करने के लिए नये पदो का सृजन किया गया या उसे बहुत कम महत्व दिया गया।

तुर्क जब भारत आये तो उनके पास वजारत के व्यावहारिक कार्य का पर्याप्त अनुभव था। सल्तनत के अधीन वजारत तीन निम्न अवस्थाओं से गुजरी, प्रथम अवस्था बलबन के नायब बन जाने के साथ-साथ समाप्त हुई। इस अवस्थाओं में वजीरो को पूर्ण असैनिक और सैनिक शक्तियां प्राप्त थीं। ख्वाजा निजामुल-मुल्क जुनैदी और मुहज्जब इस काल के विशिष्ट व्यक्ति थे। दूसरा चरण जो खलजी वंश के पतन तक चला, वजीर एकदम पृष्ठभूमि में चले गये। इसके तीन कारण परिलक्षित होते हैं- 1. बलबन द्वारा सभी पर हावी रहने की नीति, 2. सैन्य विभाग का वजारत से पृथक्करण तथा 3. अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सभी शक्तियां स्वयं में केन्द्रित करना। तीसरा चरण तुगलक वंश के शासन की समाप्ति तक जारी रहा। प्रारम्भिक शासको में वजीरो की प्रतिष्ठा को ऊचां उठाना चाहा किन्तु उनके खोएं हुए अधिकार उन्हें वापस न मिल सका। दूसरी अवस्था की तरह अभी भी सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज के अधीन पृथक रहा। दोनो विभागो की कार्य प्रणाली अलग-अलग विभाजित थी और बादशाह उन्हे उसी रूप में बनाए रखने के लिए कृत संकल्प था।

सल्तनत शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने वजीर नियुक्त किया। इल्तुतमिश के शासनकाल में वजीर का पद महत्वपूर्ण हो गया था। उसने अपने प्रमुख वजीर मुहम्मद जुनैदी को निजामुलमुल्क की उपाधि प्रदान किया। इल्तुतमिश का दूसरा वजीर फखरूलमुल्क इसामी तीस वर्ष तक बगदाद के खलीफा के दरबार में उच्च पद पर रह चुका था। अतः इसामी को इल्तुतमिश ने वजीर का पद उसकी सैनिक योग्यता के आधार पर न देकर उसकी प्रशासनिक योग्यता के आधार पर कर दिया था।

इल्तुतमिश के अयोग्य उत्तराधिकारियों के काल में वजीर का पद शक्तिशाली बन गया। नासिरूद्दीन महमूद के शासन में बलबन नाइब के रूप में रहकर वजीर व सुल्तान दोनो पर छा गया। जब बलबन शासक बना तो उसने वजीर पद की गरिमा घटा दी। उसने ख्वाजा हसन को वजीर नियुक्त किया। किन्तु उसके अधिकार पूर्णतया सीमित थे। पूरी शक्ति सुल्तान बलबन में केन्द्रित थीं। इस प्रकार महत्वपूर्ण पद की शक्तियों में समय-समय पर परिवर्तन होते रहे।

जलालुद्दीन खिलजी ने वजीर के पद को पुनः प्रतिष्ठा करने की चेष्टा की। उसने ख्वाजा खातिर को अपना वजीर नियुक्त किया। अलाउद्दीन ने उसकी सैनिक अयोग्यता के कारण उसके स्थान पर 1297 ई0 में नुसरतशाह को वजीर नियुक्त किया। नुसरतशाह की मृत्यु के बाद अलाउद्दीन ने अपने राजत्वकाल के अन्त में मलिक काफूर को मलिक नायब नियुक्त किया। मुबारकशाह खिलजी के काल में खुशरूखां के राजत्वकाल में मलिक बहीउद्दीन कुरैशी वजीर रहे।

तुगलक काल में इस पद पर विकास में कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन हुए। गयासुद्दीन तुगलक ने एक नया प्रयोग करते हुए तीन भूतपूर्व वजीरों (ख्वाजा खातिर, ख्वाजा मुहज्जब तथा जुनैदी) को नियुक्त किया एवं उन्हें अपने निकट बैठने का गौरव प्रदान किया। सुल्तान उनके परामर्श से राज्यकार्य करता था। मुहम्मद बिन तुगलक ने ख्वाजा जहाँ अपना वजीर नियुक्त किया। बाद में तेलंगाना निवासी एक नव मुसलमान मकबूल को "खाने–जहाँ" की उपाधि प्रदानकर वजीर के पद पर नियुक्त किया वह बड़ा ही प्रभावशाली था तथा अपने वजारत के काल में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक था, फिरोज के शक्तिहीन उत्तराहीन मुहम्मदशाह का वजीर ख्वाजाजहाँ सरर्वरूलमुल्क बहुत शक्तिशाली था। उसने मुर्करब खाँ को वकील-ए-सल्तनत की उपाधि दी और स्वयं पूर्वी भारत में जौनपुर में शर्की राज्य की स्थापना की सैय्यद व लोदी सुल्तानो के काल में वजीर की सैनिक शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वे सुल्तानों को गद्दी पर बैठाते एवं पदच्युत करने लगे थे। बहलोल लोदी ने कोई वजीर नही नियुक्त किया। सिकंदर लोदी ने अपने शासन को संगठित किया एवं मियां भुवा को अपना वजीर बनाया। वह इब्राहिम लोदी के काल में भी वजीर था, किंतु उसका कार्यक्षेत्र वित्तीय प्रशासन तक सीमित रहा।

इस प्रकार सल्तनत काल में वजीर को वित्तीय तथा सैनिक दोनो कार्य करने पड़ते थे। इस काल में वजीर का स्थान सुल्तान की शक्ति पर निर्भर था। सल्तनत कालीन केन्द्रीय प्रशासन में दूसरा प्रशासनिक पद वजीर का था। जब केन्द्रीय प्रशासन के चार प्रमुख स्तम्भो-दीवाने-वजारत, दीवान-ए-अर्ज, दीवान-ए-ईशा व दीवान-ए-रियासत में से एक माना जाता था।41 वित्त मंत्री की हैसियत में वह सैनिक वेतन कार्यालय पर भी नियन्त्रण व निरीक्षण का अधिकार रखता था।42 वह कभी-कभी सेनाध्यक्ष का भी काम करता था। तुगलक शासको के काल में वजारत का सर्वाधिक विकास हुआ।

निष्कर्ष

वजीर का कार्यालय दीवान-ए-विजारत कहलाता था। वजीर की मदद के लिए अनेक प्रकार के नायब अथवा सहायक होते थे। इसके अधीन अनेक छोटे विभाग कार्य करते थेमुशरिफ-ए-मुमालिक (लेखाधिकारी), मुस्तौफी-ए-मुमालिक (महालेखा परीक्षक), मजूमदार (वित्तीय स्थिति का हिसाब रखने वाला), दीवाने अमीर कोही (कृषि विभाग), दीवान-ए-मुस्तखराज (राजस्व संग्राहक) आदि। मुहम्मद बिन तुगलक के वजीर के चार दबीर (सचिव) थे। जिनमें से प्रत्येक के 300 लिपिक थे। फिरोजशाह के विषय में लिखते हुए अफीफ ने कहा है कि "यदि कोई दीवान-ए-विजारत के कार्य का वर्णन करना चाहता हो तो उसे एक पुस्तक लिखनी पड़ेगी।" राजस्व मामलो के अलावा वजीर साधारण रूप में समस्त शासन व्यवस्था भी देखता था। सार्वजनिक प्रशासन का कोई विभाग उसके कार्य क्षेत्र से बाहर नही था। वजीर को वेतन सम्भवतः नकद दिया जाता था और साथ में कुछ भूमि भी दी जाती थी।

संदर्भ

1. आर0पी0 त्रिपाठीः सम आस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृष्ठ- 161।
2. हरिशंकर श्रीवास्तवः मुगल शासन प्रणाली, पृष्ठ-67-68 |
3. एच0सी0 वर्माः मध्यकालीन भारत, भाग 1 पृष्ठ-323 |
4. आर०पी० त्रिपाठीः सम आस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृष्ठ- 131|
5. इब्ने हसन, मुगल साम्राज्य, का केन्द्रीय ढ़ांचा, पृष्ठ- 113 |
6. एच0सी0 वर्माः मध्यकालीन भारत, भाग 1 पृष्ठ-367-368 |
7. आर0पी0 त्रिपाठीः सम आस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृष्ठ- 167, 174 |
8. सी0एम0 अग्रवालः औरंगजेब एण्ड हिज वजीर्स, पृष्ठ 09 |
9. इब्ने हसन, मुगल साम्राज्य, का केन्द्रीय ढांचा, पृष्ठ- 95 |

10. हरिशंकर श्रीवास्तवः मुगल शासन प्रणाली, पृष्ठ-69 |
11. हरिशंकर शर्माः मध्यकालीन भारत, (1000-1761 ई0) पृष्ठ 225 |
12. सतीश चन्द्राः मध्यकालीन भारतः सल्तनत से मुगलो तक, भाग-1, पृष्ठ 132 |
13. हरिशंकर श्रीवास्तवः मुगल शासन प्रणाली, पृष्ठ-70 |
14. सतीश चन्द्राः मध्यकालीन भारतः भाग-1, पृष्ठ 132 |
15. आर0पी0 त्रिपाठीः सम आस्पेक्ट ऑफ मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन, पृष्ठ- 187|
16. नीना शुक्लाः दिल्ली सल्तनत (1206-1526 ई0), पृष्ठ- 357 |
17. एच0सी0 वर्माः मध्यकालीन भारत, भाग 1 पृष्ठ-370|
18. नीना शुक्लाः दिल्ली सल्तनत (1206-1526 ई0), पृष्ठ- 358,
19. एच0सी0 वर्माः मध्यकालीन भारत, भाग 1 पृष्ठ-370–371,372 |
20. हरिशंकर शर्माः मध्यकालीन भारत, (1000-1761 ई0) पृष्ठ 02 |